न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, बिलाड़ा
जिला जोधपुर

पीठासीन अधिकारी :- मृदुला शेखावत, (आर.ए.एस)
राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या :- 81/2024

प्रार्थीगण :-

1. बाबूलाल पुत्र काछबराम
2. खीयाराम पुत्र काछबराम
3. राणाराम पुत्र काछबराम
4. बस्तुडी पुत्री काछबराम
5. समली पुत्री काछबराम
6. श्रीमति रूपली पत्नी काछबराम जातियान विश्नोई निवासीगण रावर तहसील बिलाडा जिला जोधपुर

बनाम

अप्रार्थीगण :-

1. चैनाराम पुत्र चुतराराम
2. भाकरराम पुत्र चुतराराम
3. लालाराम पुत्र रामकिशन
4. भानाराम पुत्र रामकिशन
5. हीराराम पुत्र रामकिशन
6. श्रीमति पारसी पत्नी रामकिशन जातियान विश्नोई निवासीगण रावर तहसील बिलाडा जिला जोधपुर
7. स्टेट बैंक आफ इण्डिया शाखा बिलाडा जोधपुर
8. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार बिलाडा

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम

उपस्थिति :- प्रार्थी -श्री गणपतलाल चौधरी, अधिवक्ता।
अप्रार्थी सं. 1 से 7 के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही।
अप्रार्थी सं 8 सरकारी पैरोकार।

निर्णय दिनांक :- 23/11/24

संक्षेप में मामले के तथ्य इस प्रकार है कि ग्राम ग्राम रावर तहसील बिलाड़ा जिला जोधपुर की सरहद में भूमि खसरा नम्बर 417 रकबा 20 बीघा 6 बिस्वा, खसरा नम्बर 426 रकबा 12 बीघा 2 बिस्वा, खसरा नम्बर 564 रकबा 10 बीघा 17 बिस्वा, खसरा नम्बर 766 रकबा 1 बिस्वा, रकबा 2 बिस्वा, खसरा नम्बर 826 रकबा 21 बीघा 13 बिस्वा, खसरा नम्बर 767 रकबा 8 बीघा 6 बिस्वा, खसरा नम्बर 825 कुल खसरा 7 कुल रकबा 73 बीघा 7 बिस्वा, आयी हुयी है। जिसकी खातेदारी भूमि दौला पुत्र बुधा जाति विश्नोई निवासी रावर तहसील बिलाडा की थी। खातेदार दौला के देहान्त के बाद उसकी खातेदारी भूमि का फौतेदगी नामान्तरकरण संख्या 179 उनके दो पुत्र चुतराराम व काछबराम की खातेदारी मे दर्ज किया गया। जो जमाबंदी संवत् 2021 से 2024, जमाबंदी संवत् 2025 से 2028, जमाबंदी संवत् 2029 से 2032, जमाबंदी संवत् 2033 से 2036 वास्ते सबूत साथ में पेश है। प्रार्थना पत्र में वर्णित उपरोक्त सजरा खानदान के अनुसार दौला पुत्र बुधा का देहान्त हो गया, उनके देहान्त के बाद उनके दो पुत्र

सहायक कलक्टर
एवं उप खण्ड अधिकारी
बिलाड़ा

चुतराराम, काछबराम प्रथम श्रेणी के वारिशान है, जिनमें से चुतराराम व काछबराम का देहान्त को हो चुका है। चुतराराम के उत्तराधिकारी उनके तीन पुत्र रामकिशन, चौनाराम, भाकरराम पत्नी चुन्नीदेवी है, जिनमें से रामकिशन व चुन्नीदेवी का देहान्त हो चुका है। रामकिशन के उतराधिकारी उनके तीन पुत्र लालाराम, भानाराम, हीराराम व पत्नी श्रीमती पारसी है। इनके अलावा अन्य कोई प्रथम श्रेणी के वारिशान नही है। इसी प्रकार काछबराम के उत्तराधिकारी उनके तीन पुत्र बाबूलाल, खीयाराम, राणाराम व दो पुत्रियां बस्तूडी, समली व पत्नी रूपली है, इनके अलावा अन्य कोई प्रथम श्रेणी के वारिशान नहीं है। पद संख्या 1 में वर्णित भूमि मे चुतराराम का 1/2 हिस्सा तथा 1/2 हिस्सा काछबराम का है। प्रार्थीगण पिछले माह अपनी खातेदारी भूमि पर फसल ऋणी प्राप्त करने हेतु हल्का पटवारी के पास जमाबंदी की नकल लेने हेतु गया तो हल्का पटवारी ने राजस्व रेकर्ड की जमाबंदी की नकल प्रार्थीगण को दी गयी तो प्रार्थीगण को जानकारी हुयी कि जमाबंदी में हिस्सा गलत दर्ज कर दिया गया है तब प्रार्थीगण ने हल्का पटवारी से राजस्व रेकर्ड के बारे में जानकारी चाही तो हल्का पटवारी ने राजस्व रेकर्ड देखकर बताया कि जमाबंदी संवत् 2066 से 2069 के बाद जमाबंदी संवत् 2074 से 2077 में कम्प्यूटराईज्ड नकल जारी करते समय त्रुटीवश या भूलवश पक्षकारो का हिस्सा गलत दर्ज कर दिया गया है और हल्का पटवारी ने प्रार्थीगण को बताया कि आप सक्षम न्यायालय से शुद्धि करवाओ तब आपका नाम रेकर्ड से शुद्ध कर दिया जायेगा। जिस पर प्रार्थीगण दिनांक 26.03.2024 को तहसील कार्यालय बिलाडा गये और भूमि खसरा नम्बर 417. 426, 564, 766, 767, 825, 826 की जमाबंदी आदि की प्रमाणित नकल प्राप्त करने हेतु तहसीलदार बिलाडा (भू अभिलेखागार) के कार्यालय में नकल आवेदन पत्र पेश किया, जिस पर दिनांक 28.03.2024 को भूमि खसरा नम्बर 417, 426, 564, 766, 767, 825, 826 की जमाबंदी संवत् 2021 से 2024, जमाबंदी संवत् 2025 से 2028, जमाबंदी संवत् 2029 से 2032, जमाबंदी संवत् 2033 से 2036, जमाबंदी संवत् 2037 से 2040, जमाबंदी संवत् 2042 से 2045, जमाबंदी संवत् 2046 से 2049, जमाबंदी संवत् 2050 से 2053, जमाबंदी संवत् 2054 से 2057, जमाबंदी संवत् 2066 से 2069, जमाबंदी संवत् 2074 से 2077 की प्रमाणित प्रतिलिपि को प्राप्त किया तो प्रार्थीगण को मालूम हुआ कि भूमि खसरा नम्बर 417, 426, 564, 766, 767, 825, 826 में प्रार्थीगण का हिस्सा गलत दर्ज कर दिया गया हैं। पद संख्या 1 में वर्णित भूमि खसरा नम्बर 417 रकबा 20 बीघा 6 बिस्वा, खसरा नम्बर 426 रकबा 12 बीघा 2 बिस्वा, खासरा नम्बर 564 रकबा 10 बीघा 17 बिस्वा, खसरा नम्बर 766 रकबा 1 बिस्वा, खसरा नम्बर 767 रकबा 8 बीघा 6 बिस्वा, खसरा नम्बर 825 रकबा 2 बिस्वा, खसरा नम्बर 826 रकबा 21 बीघा 13 बिस्वा कुल खसरा 7 कुल रकबा 73 बीघा 7 बिस्वा जमाबंदी संवत् 2066 से 2069 मे लालाराम, भानाराम, हीराराम पिसरान रामकिशन पारसी पत्नी रामकिशन, भाकरराम, चौनाराम पिसरान

सहायक कलक्टर
एवं उपखण्ड अधिकारी
बिलाड़ा

घुतराराम काछवराम पुत्र दौलाराम के रूप में खातेदार के रूप में इन्द्राज है, लेकिन उसके बाद आगे की जमाबंदी संवत् 2074 से 2077 में खातेदारों का दो दो नाम की खातेदारी व हिस्सा गलत दर्ज कर दिया गया है। राजस्व रेकर्ड में परिवर्तन केवल म्यूटेशन के आधार पर ही किया जा सकता है एवं म्यूटेशन किसी न्यायालय के निर्णय, डिक्री, आदेश से या वैचान हस्तान्तरण के आधार पर ग्राम पंचायत या तहसीलदार द्वारा स्वीकृत किया जा सकता है मौजूदा मामले में न तो राजस्व रेकर्ड में परिवर्तन का किसी न्यायालय का कोई निर्णय या आदेश है तथा न कोई म्यूटेशन स्वीकृत किया गया है। अतः पटवारी द्वारा बीना आधार एवं अनाधिकृत तौर से रेकर्ड में गलत हिस्सा को दर्शाने में भूल की गयी है, जिसे पुनः खातेदार के नाम हिस्सा दर्ज किया जाना न्यायसंगत एवं आवश्यक हैं।

अतः प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन है कि प्रार्थना पत्र प्रार्थीगण स्वीकार किया जाकर ग्राम रावर तहसील बिलाड़ा की भूमि खसरा नम्बर 417 रकबा 20 बीघा 6 बिस्वा (3.2845 हैक्टेयर), सासरा नम्बर 426 रकबा 12 बीघा 2 बिस्वा (1.9578 हैक्टेयर), खसरा नम्बर 564 रकबा 10 बीघा 17 बिस्वा (1.7555 हैक्टेयर), खसरा नम्बर 766 रकबा 1 बिस्वा (0.0081 हैक्टेयर), खसरा नम्बर 767 रकबा 8 बीघा 6 बिस्वा (1.3429 हैक्टेयर), खसरा नम्बर 825 रकबा 2 बिस्वा (0.0162 हैक्टेयर), खसरा नम्बर 826 रकबा 21 बीघा 13 बिस्वा (3.5030 हैक्टेयर) कुल खसरा 7 कुल रकबा 73 बीघा 7 बिस्वा (11.8680 हैक्टेयर) की जमाबन्दी संवत् 2074 से 2077 की दुरूस्ती की जाकर उपरोक्त भूमि के राजस्व रेकर्ड जमाबन्दी में प्रार्थी संख्या 1 का 1/12 वां हिस्सा तथा प्रार्थी संख्या 2 का 1/12 वां हिस्सा तथा प्रार्थी संख्या 3 का 1/12 वां हिस्सा तथा प्रार्थी संख्या 4 का 1/12 वां हिस्सा तथा प्रार्थी संख्या 5 का 1/12 वां हिस्सा तथा प्रार्थी संख्या 6 का 1/12 वां हिस्सा तथा अप्रार्थी संख्या 1 का 1/6 वां हिस्सा तथा अप्रार्थी संख्या 2 का 1/6 वां हिस्सा तथा अप्रार्थी संख्या 3 का 1/24 वां हिस्सा तथा अप्रार्थी संख्या 4 का 1/24 वां हिस्सा तथा अप्रार्थी संख्या 5 का 1/24 वां हिस्सा तथा अप्रार्थी संख्या 6 का 1/24 वां हिस्सा दर्ज करने का आदेश तहसीलदार बिलाड़ा को फरमाया जावे। अन्य कोई उचित आदेश प्रार्थीगण के पक्ष में हो अता फरमायें।

प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया गया । अप्रार्थीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। अप्रार्थीगण को समन बाद तामिल पेश हुए। अप्रार्थीगण सं 1 से 7 को उपस्थित हेतु पर्याप्त अवसर प्रदान किया गया, बार-बार आवाज लगवाई गई लेकिन इनकी ओर से कोई उपस्थित नही होने पर अप्रार्थीगण सं. 1 से 7 के विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही की जाती है। अप्रार्थी सं. 8 सरकारी पैरोकार की ओर से जवाब पेश किया गया जिसके संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि ग्राम रावर की सरहद में स्थित खसरा नंबर 417 रकबा 20-06 बीघा, खसरा नंबर 426 रकबा 12-02 बीघा, खसरा नंबर 564 रकबा 10-17बीघा, खसरा नंबर 766 रकबा 0-01 बीघा, खसरा नंबर 767 रकबा 8-06बीघा, खसरा नंबर

न्यायालय सहायक कलेक्टर एवं उप खण्ड अधिकारी, बिलाड़ा

सहायक कलक्टर
एवं उप खण्ड अधिकारी
बिलाड़ा

825 रकबा 0-02बीघा, खसरा नंबर 826 रकबा 21-13 बीघा कुल खसरा 07 रकबा 73-07 बीघा आई हुई है, जो प्रार्थीगण व अप्रार्थीगण की संयुक्त खातेदारी भूमि है पूर्व में यह भूमि दौला पुत्र बुधा जाति विश्नोई के नाम दर्ज थी जो जरिये विरासत नामा. 179 के जरिये उनके दो पुत्र चुतराराम व काछबराम के नाम दर्ज हुई। दौला पुत्र बुधा की वंशावली सरकारी पैरोकार के जवाब में वर्णित सजरा के अनुसार है। नामा. 546 विरासत के जरिये चुतराराम के फौत होने पर- रामाकिशन, भाकरराम, चैनाराम पुत्र चुतराराम व चुनीदेवी पत्नी चुतराराम के नाम दर्ज हुए। नामा. सं. 599 विरासत के जरिये रामकिशन के फौत होने पर- लालाराम, भानाराम, हीराराम पुत्र रामकिशन, पारसी बेवा रामकिशन के नाम दर्ज हुए, शेष बदस्तुर रहे। नामा. 1349 विरासत के जरिये चुनीदेवी पत्नी चुतराराम के फौत होने पर लालाराम, भानाराम, हीराराम पुत्र रामकिशन, पारसी पत्नी रामकिशन, भाकरराम, चैनाराम पुत्र चुतराराम दर्ज शेष बदस्तुर रहे।

अतः जवाब प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि ग्राम रावर के खसरा नंबर 417 रकबा 3.2845 हैक्ट, खसरा नंबर 426 रकबा 1.9578 हैक्ट, खसरा नंबर 564 रकबा 1.755 हैक्ट, खसरा नंबर 766 रकबा 0.0081 हैक्ट, खसरा नंबर 767 रकबा 1.3429 हैक्ट, खसरा नंबर 825 रकबा 0.0162 हैक्ट, खसरा नंबर 826 रकबा 3.5030 हैक्ट कुल खसरा 7 रकबा 11.8680 हैक्ट में वर्तमान राजस्व रेकर्ड जमाबंदी में प्रार्थी सं. 1 से 6 प्रत्येक का 1/12 व अप्रार्थी सं. 1 का 1/6, अप्रार्थी सं. 2 का 1/6 व अप्रार्थी सं. 3 से 6 प्रत्येक का 1/24-1/24 हिस्सा दर्ज किये जाने की रिपोर्ट श्रीमानजी की सेवा में सादर प्रेषित है।

उभय पक्षकारान की बहस सुनी गयी, प्रार्थीगण अधिवक्ता ने प्रार्थना पत्र के तथ्यों को दोहराया और प्रार्थना पत्र स्वीकार कर रेकर्ड दुरूस्ती का निवेदन किया। अप्रार्थी सरकारी पैरोकार ने जवाब के तथ्यो को दोहराया और दुरूस्ती किये जाने पर सहमति जाहिर की। पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। प्रार्थना पत्र के साथ प्रस्तुत दस्तावेजात का अध्ययन किया। इन सम्पूर्ण दस्तावेजों का ध्यानपूर्वक अवलोकन से यह विदित होता है कि वादग्रस्त कृषि भूमि में प्रार्थीगण व अप्रार्थीगण खातेदार के रूप में इन्द्राज है लेकिन जमाबंदी संवत् 2074 से 2077 में खातेदारों का दो-दो नाम की खातेदारी व हिस्सा गलत दर्ज है, जो एक लिपिकीय त्रुटी मालूम पड़ती है। जिसको दुरूस्त किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है। अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर ग्राम रावर, तहसील बिलाडा के खसरा नंबर 417 रकबा 3.2845 हैक्ट, खसरा नंबर 426 रकबा 1.9578 हैक्ट, खसरा नंबर 564 रकबा 1.755 हैक्ट, खसरा नंबर 766 रकबा 0.0081 हैक्ट, खसरा नंबर 767 रकबा 1.3429 हैक्ट, खसरा नंबर 825 रकबा 0.0162 हैक्ट, खसरा नंबर 826 रकबा 3.5030 हैक्ट कुल खसरा 7 रकबा 11.8680 हैक्ट में प्रार्थी सं. 1 का 1/12 वां हिस्सा, प्रार्थी सं. 2 का 1/12 वां हिस्सा, प्रार्थी सं. 3 का 1/12वां हिस्सा, प्रार्थी सं. 4

सहायक कलक्टर
एवं उप खण्ड अधिकारी
बिलाड़ा

का 1/12वां हिस्सा, प्रार्थी सं. 5 का 1/12वां हिस्सा, प्रार्थी सं. 6 का 1/12वां हिस्सा तथा अप्रार्थी सं. 1 का 1/6वां हिस्सा, अप्रार्थी सं. 2 का 1/6वां हिस्सा, अप्रार्थी सं. 3 का 1/24वां हिस्सा, अप्रार्थी सं. 4 का 1/24वां हिस्सा, अप्रार्थी सं. 5 का 1/24वां हिस्सा व अप्रार्थी सं. 6 का 1/24वां हिस्से का राजस्व रेकर्ड में दुरूस्ती किये जाने का आदेश तहसीलदार बिलाड़ा को प्रदान किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

(मृदुला शेखावत)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
बिलाड़ा

निर्णय आज दिनांक 3/5/19 को मेरे हस्ताक्षर द्वारा न्यायालय की मुद्रा से जारी कर सरे इजलास सुनाया गया।

(मृदुला शेखावत)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
बिलाड़ा